

हुक्म या कार्यवाही मय सपुहस्ताक्षर अथ

तारीख हुक्म		सपुहस्ताक्षर अथ हुक्म की तारीख
२६/०५/१९	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय लप                      अन्वयिका/ पीअस. अन्वयिका                      पत्रावली एवं अन्य कार्य में सहायता                      दिनांक- २६/०५/१९ को पेश हो उतिवादी सं. २ की जॉर                      से दलवाली जनसंघ पेश हुआ जो शामिल पत्रावली विषय                      में था।</p>	
२०/०५/१९	<p>दलवाली पेशी १९ पर पत्रावली आज पेश                      हुई। वकील वादी उप. उतिवादी सं. ४ की                      तामील सम्मल जप से होकर लौटी हैं वास्तु                      सम्मल तामील उक्त उतिवादी की जॉर से                      कोई होजिए उतिवादी नहीं आया है। अतः                      उतिवादी सं. ४ के विरुद्ध एक पक्षीय कपयि                      उमल में सहि जाती हैं। वास्ते बहस                      मिलल दिनांक ०२/०७/१९ को पेश हो</p>	
०२/०७/१९	<p>वकील वादी उप. वकील वादी उप.,                      वकील वादी की उल्लेख में एक पक्षीय                      बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेशावधि                      दिनांक २३/०७/१९ को पेश हो।</p>	
२३/०७/१९	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी की उल्लेख में                      पूर्व में एक पक्षीय बहस सुनी जा चुकी हैं।                      दौरान बहस वकील वादी ने मुलाखिल तामील                      दावा डिकी किया जाने का निर्दिष्ट किया।</p>	

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकोर्ड, पैशाशुदा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाते पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की जारी की जाती है कि:-</p> <p style="text-align: center;"><u>निर्णय</u></p> <p>तन ग्राम समर्थपुरा तहसील खण्डेला अवस्थित कृषि भूमि ख. नं. 393, 397 एकाब 2.29 है।              में वादी व उत्तिवादीगण नं. 1 ता 7 के दादा/पिता /ससुरा का गलत दर्ज नाम "गंगूरा व मंगला" के स्थान पर सही नाम "गंगूरा" डूजस्त किया जाकर उक्त वाणित भूमि से उत्तिवादी नं. 5 ता 7 एवं मृत्तक सुन्दी का नाम हजफ किया जाकर वादी को 1/3 हिस्सा का, उत्तिवादी नं. 1 को 1/3 हिस्सा का, उत्तिवादी नं. 2 ता 4 को 1/3 हिस्सा का सहिस्सा कब्जा काविज खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है।              उक्तानुसार राजस्व रेकोर्ड में अमल दराप्रद हो तदनुसार पत्रा डिक्री जारी हो। पत्रावली फासल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय छुले न्यायमय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">23/07/19.</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेड) खण्डेला</p>	

# डिक्री मुकदमा इक्टदाई

(ओ. 20 रूत 6-7 जाब्ता दीवानी)

सहामल कलक्टर फास्ट ट्रेक  
 श्री महीपाल सिंह, RAS  
 (1) ओमप्रकाश बनारस बनाम (1) विष्टपाल प्र गंगूराम \*  
 दावा बाबत घोषणा, इज्जती किर्डी व ल्याई निवेद्याता

मुकदमा नं. 13 रात 2019  
 श्री महीपाल सिंह, RAS  
 श्री मालीराम सेनी

एह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरू  
 गिनजानिब मुदई रूबरू  
 गिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

गाम समीपुल लसील खण्डेला उक्ती शूषि क्रि नं. 399  
 97 लका 229 है. में वकी व प्रतिवादी नं. 1 ता 7 के दादा/पिता  
 लका गलत दर्ज नाम "गंगूराम व मंगला" के ल्याल पर लही  
 म "गंगूराम" इज्जत किया उक्त वर्णित क्रि नं. 5 ता \*

इस मुकदमे के मय रूद बशरह  
 ख अदायगी तक  
 बाबत  
 फीसदी लालना आज की तारीख से  
 का अदा करें।  
 23 माह 07 सन 2019 वने



दस्तखत  
 सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अर्जी नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प अर्जी सबूत			महन्ताना वकील		
खर्चा खर्चा			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुकमनामा			बाबत इजराय हुकमनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

सर्वे के मय पर कुन खर्चा हर दो फरीकत का चाहे डिकरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

पुत्र गौविन्दा पौत्र गंगूराम जाति जाट निवासी समर्थपुरा  
तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.। -वादी

कनाम

२. सागर ३. घाबर पुत्रगण नावूराम पौत्र गंगूराम  
५. ब्रवणी पत्नि नावूराम पुत्रवधु गंगूराम  
समस्त जाति जाट निवासी समर्थपुरा तहसील खण्डेला  
जिला सीकर राज.।  
६. गौपाल उर्फ आगीरज पुत्र गंगूराम जाति जाट निवासी  
समर्थपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.। हाल निवासी  
रानीली गाना के पीछे तहसील झंताणगाड जिला सीकर राज.  
७. पतासी देवी पुत्री गंगूराम पत्नि नारायण जाति जाट  
निवासी समर्थपुरा तहसील खण्डेला हाल निवासी रतनपुरा  
तहसील जीमाधीपुर जिला सीकर राज.।  
७. भूमिधारी तहसीलया खण्डेला।

-उतिवादीगण

\* एवं मृतक सुन्दरी का नाम हजफ किया जाकर वादी को  
1/3 हिस्सा का, उतिवादी नं. 1 को 1/3 हिस्सा का, उतिवादी  
नं. 2 ता 4 को 1/3 हिस्सा का बहिस्सा कराकर काबिल  
खतियार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार  
राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

